



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

राजस्थान जयते

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7336/2026

CNR: RJHC010542832026

URN: CRLMB / 16150U / 2026

Kanhaiyalal Alias Kanha S/o Jamanlal Alias Jamnalal, Aged About 27 Years, R/o Revaliya Kalla, Police Station Bhadesar, District Chittorgarh, Rajasthan.

(Presently Lodged At Pali Jail)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Naresh Kumar

For Respondent(s) : Mr. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

06/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना रोहट, जिला पाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/18 सपठित धारा 29 एन.डी. पी.एस. अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि सहअभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। इस मामले में सहअभियुक्त मनोहरलाल की इत्तिला के आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को इस अपराध में संलिप्त किया गया है, अन्य कोई साक्ष्य प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध नहीं है। पुलिस द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त पर बरामदा वाहन में डोडाचूरा भरवाने का आरोप है परन्तु दो वाहनों में चार व्यक्तियों का होना पुलिस द्वारा माना गया है, जिनसे प्रार्थी-अभियुक्त की कोई कॉल डिटेल नहीं होना पुलिस अनुसंधान से स्पष्ट है। प्रार्थी-अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान होना बताते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।



04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। परन्तु यह स्वीकार किया कि जिन चार व्यक्तियों का दो वाहनों में होना पुलिस द्वारा माना गया है उन चारों व्यक्तियों की कोई कॉल डिटेल्स प्रार्थी-अभियुक्त के साथ की नहीं है।

05. जमानत आवेदन पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। आरोप पत्र सहअभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा चुका है। इस मामले में सहअभियुक्त प्रकाश की जमानत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2026 को धारा 37 की अपवादित परिस्थितियों विद्यमाना होना मानते हुए ली जा चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्त की कोई कॉल डिटेल्स सहअभियुक्त के साथ की होना पुलिस द्वारा नहीं बताया गया है, विद्वान लोक अभियोजक द्वारा भी दौराने बहस इस तथ्य को स्वीकार किया है। प्रार्थी-अभियुक्त को धारा 8/29 एनडीपीएस अधिनियम का मुलजिम बनाया गया है। इस मामले में स्वीकृत रूप से सहअभियुक्त मनोहरलाल की इत्तिला के आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को अपराध में संलिप्त किया जाना प्रतीत होता है प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस अधिनियम के तहत अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना बताया गया है।

06. ऐसी अवस्था में इस मामले में यह न्यायालय इस बाबत से संतुष्ट है कि यह विश्वास करने का उचित आधार है कि प्रार्थी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति करने की सम्भावना नहीं है। इस मामले में प्रथम दृष्टया धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की अपवादित परिस्थितियां विद्यमान है।

07. अतः बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **कन्हैयालाल उर्फ कान्हा पुत्र जमनलाल उर्फ जमनालाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J